प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) प्रा०स० 126

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

उनवान

संतोष आदि बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत नाम दुरुस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 126/2022

निर्णय दिनांक :– 15.06.2022

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.2022 को **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा स्वीकार किया जाता है की मृतक नाकासा की जमाबंदी के खाता सं. 225 ख०नं० 120, 126, 353, 496, 498, 499, 528, 543 पर अंकित जयाना पुत्री पदमाराम के स्थान पर संतोष पुत्री पदमाराम व सीतारेवी पुत्री पदमाराम के स्थान पर सुनिता देवी पुत्री पदमाराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादीगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नामांतरण मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:02:26 IST
Reason: SelfAttested

नाo फा 1861 / 102 225
20.06.2022